

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

गोरखपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: मार्च, 2025

विषय:- कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों (Next of Kin of the deceased) को ₹ 50,000/- प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अहेतुक सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में राहत आयुक्त की वेबसाइट पर फीड/अपलोड किये गये प्रकरणों में बजट के अभाव में लम्बित दर्शित प्रकरणों के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्न विवरण एवं शर्तों के अधीन निम्न तालिका के कॉलम-4 के अनुसार अंकित धनराशि जिलाधिकारी गोरखपुर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

क्र०सं०	जनपद का नाम	बजट अभाव में भुगतान हेतु लम्बित प्रकरण	स्वीकृत धनराशि (₹ में)
1	2	3	4
1.	गोरखपुर	12	6,000,00/-
योग		12	6,000,00/-
(₹ 60 लाख मात्र)			

नियम व शर्त/प्रतिबन्ध

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जाय।
- (3) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का समस्त लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।
- (5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(6) माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹0 6,000,00/- (₹0 छह लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-51 के लेखाशीर्ष-2245-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पॉस फंड से व्यय-0610-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231-/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by भवदीय,
Shailendra Mani Tripathi
Date: 05/03/2025 16:05:39
अनु सचिव।

संख्या- 199(1)/एक-10-2025-33(12)/2021, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 प्रयागराज।
- 2- स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
- 3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र0।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 5- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन), 30प्र0 शासन।
- 6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 7- वित्त नियंत्रक, 30प्र0, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-06/03/2025

प्रेषण संख्या:- 198
आवंटन आदेश संख्या:- 001-199
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान	600000	600000
		प्रगामी	600000	600000
	योग	वर्तमान	600000	600000
		प्रगामी	600000	600000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छः लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः लाख


(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।